अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्द्रप्रकाश बनाम कमलेश वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 66/2023 (नसीराबाद)

	श्रीमहेन्द्र सिंह चौहान एडवोकेट
06.06.2023	चन्द्रप्रकाश बनाम कमलेश वगैरह यह अपील श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 66/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जावे। चूँकि यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है इसलिए अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि विवादित आराजीयात् अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसे रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा अब अन्यत्र रहन, बय, मुन्तकिल करने, विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण कार्य कराने पर आमादा है जिन्हे पाबदं किया जावें। जिस बाबत् वाद बाहुल्तया को रोकने के उद्देश्य से विवादित आराजीयात बाबत् रेस्पोडेन्टस को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 26.05.2023 में प्रकरण अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्टस को अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए आगामी पेशी प्रदान कर विवादित आराजीयात बाबत् रहन, बय, मुन्तकिल एवं हस्तातंरण किए जाने एवं निर्माण कार्य कराने की खुली छूट प्रदान कर दी, यदि वे उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण/अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.05.2023 निरस्त योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में हैं माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र व अपील को स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जावें वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र, रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके व राजस्व रकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबद के आदेश दिनांक 26.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तंर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज कर, प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करना चाहिए थी, प्रकरण अभी प्राथमिक स्तर पर ही नियत है तथा प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्द्रप्रकाश बनाम कमलेश वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 66/2023 (नसीराबाद)

अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर